मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 861
28 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास

861 # श्री नीरज डांगी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की औद्योगिक श्रमिकों को आवास प्रदान करने के लिए कोई नई योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने आवासों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना को किन-किन शहरों में शुरू किए जाने की संभावना है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने देश में सिंगल/डबल बेडरूम इकाइयों या डोरमेटरी बेड के माध्यम से औद्योगिक श्रमिकों सहित शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) की शुरुआत की है। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है:

मॉडल-1: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएचसी में परिवर्तित करके करना।

मॉडल-2: सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव।

एआरएचसी के लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के शहरी प्रवासी/गरीब हैं। इनमें श्रमिक, शहरी गरीब (पथ विक्रेता, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), औद्योगिक श्रमिक, और बाजार/व्यापार संघों, शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी, दीर्घकालिक पर्यटक/आगंतुक, छात्र या ऐसी श्रेणी के अन्य व्यक्ति शामिल हैं। देश में मंत्रालय द्वारा मॉडल-2 के अंतर्गत स्वीकृत प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के विवरण के साथ-साथ दोनों मॉडलों के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण किए गए एआरएचसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए डोरमेटरी -प्रकार के आवास सहित किराये के आवास की घोषणा की है, जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) सहायता और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ सुगम बनाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, 2025-26 के बजट में ₹2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाना, खरीदना और किराये पर लेना है। इस योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक का उद्देश्य किफायती किराया आवास स्टॉक बनाने के लिए निवेश का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करके एक अनुकूल वातावरण बनाना है। यह औद्योगिक श्रमिकों सहित पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी उन लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देती है जो अपना आवास नहीं चाहते हैं लेकिन अल्पावधि आधार पर आवास की आवश्यकता है। पीएमएवाई-यू 2.0 की इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक/निजी संस्थाएं पात्र लाभार्थियों के लिए आवास प्रदान करने के लिए सिंगल/डबल बेडरूम यूनिट या डोरमेटरी बेड वाली एआरएच परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव कर सकती हैं।

*****

दिनांक 28.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 861 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क. योजना के मॉडल-1 के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए एआरएचसी में परिवर्तित मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर का नाम	एआरएचसी में परिवर्तित खाली आवासों की संख्या
1	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2,195
2	गुजरात	सूरत	528
3		अहमदाबाद	1,376
4		राजकोट	698
5	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	480
6	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	336
7	उत्तराखंड	लालकुआं	100
8		देहरादून	70
कुल			5,783

ख. योजना के मॉडल-2 के अंतर्गत सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और निर्माण कार्य पूर्ण किए गए एआरएचसी इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. स.	नाम		इकाई का नाम	कुल इकाइयाँ	निर्माण कार्य पूर्ण किया
	राज्य	शहर			
1	तमिलनाडु	श्रीपेरुमबुदुर	एसपीआर सिटी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	18,112	6,160
2		श्रीपेरुमबुदुर	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	4,994	4,994
3		होसुर	टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड	13,500	6,576
4		चेन्नई	राज्य उद्योग संवर्धन निगम	18,720	18,720
5		चेन्नई	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	1,040	-
6		चेन्नई	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	5,045	-
7	छत्तीसगढ	रायपुर	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	2,222	-
8	असम	कम्पूर टाउन	गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,222	-

9	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	1,112	-
10	गुजरात	सूरत	मित्सुमी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	453	-
11	तेलंगाना	निज़ामपेट	सिवानी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	14,490	-
12	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	कोस्टल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	736	-
13		विजयनगरम	कोस्टल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	652	-
कुल				83,298	36,450